सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 66 राँची, शुक्रवार

2 फाल्गुन 1935 (श०)

21 फरवरी, 2014 (ई०)

नगर विकास विभाग ।

संकल्प

19 फरवरी, 2014

विषय: झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-130 के तहत राँची नगर निगम के घाघरा स्थित 2.80 एकड़ भू-खण्ड को लोक निजी भागीदारी(PPP) पर Super Specialty अस्पताल निर्माण हेतु 30 वर्षों के लिए Lease पर दिए जाने के संबंध में ।

संख्या-710--भारत के संविधान की धारा-243(1) के आलोक में गठित प्रथम राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जानी अपेक्षित है ताकि लगातार बढ़ती जनसंख्या एवं सुविधाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्रवाई की जा सके, साथ ही विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हेतु लोक निजी भागीदारी(PPP) के आधार पर विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा सके ।

राज्य के लोक कल्याणकारी अवधारणा एवं 74वां संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने विशेषकर आम जनता को उच्च स्तरीय जन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कृत संकल्प है ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-70(1) तथा 70(1) (C)(vii)(a) के आलोक में नगर निकाय स्वयं अस्पताल की स्थापना कर सकती है अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से इसे कराए जाने की शक्ति प्राप्त है ।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-130 जिसमें नगरपालिका के अधीनस्थ कोई सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निष्पादित किए जाने की शक्ति प्रदत्त है के आलोक में राँची नगर निगम द्वारा अपने भू-खण्ड घाघरा, डोरंडा स्थित खाता संख्या - 328 रकवा 2.80 एकड़ पर एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण संधारण एवं संचालन लोक निजी भागीदारी की अवधारणा पर विकसित किये जाने हेतु सरकार से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है ।

3. उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राँची नगर निगम को अपने स्वामित्व के भू-खण्ड को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में उल्लेखित संबंधित प्रावधानों यथा-70, 192 एवं 130 के अधीन वर्णित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए लोक निजी भागीदारी के अवधारणा पर विकसित करने की अनुमति अधिनियम के सभी संबंधित प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन करने के शर्त पर प्रदान की जाती है ।

साथ ही धारा-130 के तहत स्थायी समिति सार्वजनिक निलामी की प्रक्रिया अपनाते हुए लोक निजी भागीदारी की अवधारणा पर निजी भागीदार के चयन हेतु आदेश दिया जाता है।

4. उपर्युक्त अनुमोदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-241 दिनांक-22 जनवरी 2011 के कंडिका-5(II) में वर्णित गैर मजरूआ भूमि की स्थायी बन्दोबस्ती/लीज बन्दोबस्ती के संबंध में विहित प्रावधान से अच्छादित होगी ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश:- यह आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को जनसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 66—50 ।